प्रेषक,

महत्वपूर्ण/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला पुरूष/महिला/सयुंक्त चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./2016–17/ 5281 दिनांकः 12/9/2016

विषय– जननी सुरक्षा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप भली–भाँति अवगत है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रक्त एवं रक्त–उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकताओं में है, तत्क्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जननी सुरक्षा के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को रक्त के सर्विस चार्जेज में छूट प्रदान करते हुये निःशुल्क रक्त एवं रक्त उत्पाद उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में भी शासनादेश निर्गत किया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आए हैं कि कतिपय रक्तकोषों द्वारा उपरोक्तानुसार रक्त के सर्विस चार्ज में छूट प्रदान करने हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं रक्त की उपलब्धता होने के पश्चात भी जननी सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को अनावश्यक रूप से परेशान करते हुये रक्त हेतु सर्विस चार्ज लेकर प्रतिस्थानी के बदले रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है, जोकि अत्यंत खेदजनक है।

प्रदेश सरकार एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये किये जा रहे प्रयासों के दृष्टिगत आपसे अपेक्षित है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अच्छादित होने वाली समस्त लाभार्थियों को रक्त की आवश्यकता के समय रक्त की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाये एवं रक्त को उपलब्ध कराना गर्भवती महिला व उसके परिजनों की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, अपितु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय द्वारा भी प्रभारी, रक्तकोष से समन्वय स्थापित करते हुवे रक्त की उपलब्धता करायी जाये, साथ ही ये सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में जनपद में क्रियाशील रक्तकोष गर्भवती महिलाओ

को रक्त आपूर्ति करने से मना नहीं करेगें तथा बिना प्रतिस्थानी की अनिवार्यता के रक्त की उपलब्धता सुलभ करायेंगें।

अतः आप निर्देशित है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यता के आधार पर सुनिश्चित करें, ताकि रक्त की अनुपलब्धता से मातृ मृत्यु दर में कमी लायी जा सके।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव

पत्र संख्या–: एस0पी0एम0यू0 / Blood Ser. / 2016–17 /   तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
२. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
३. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, छठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
४. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से उक्त का पालन सुनिश्चित कराये।
5. महाप्रबन्धक मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सर्विसेज